

#### असाधारण

#### **EXTRAORDINARY**

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

### प्राधिकार से प्रकाशित

### PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2298] No. 2298] नई दिल्ली, शुक्रवार, जून 22, 2018/आषाढ़ 1, 1940

NEW DELHI, FRIDAY, JUNE 22, 2018/ASHADHA 1, 1940

## श्रम और रोजगार मंत्रालय

### अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

का.आ. 3037(अ).—कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप-खंड (ii) में भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 7 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1831(ई), दिनांक 7 मई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में धारा 4(एफ) के अंतर्गत 'केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त' शीर्ष के अंतर्गत क्रम संख्या 44 के बदले निम्नलिखित प्रविष्टि प्रतिस्थापित की जाएगी, नामत:

क्रम संख्या 44 – श्री दिनेश लाकड़ा मैसर्स लाकड़ा इंडस्ट्रीस लिमिटेड ई 200, फोकल प्वाइंट, चरण-4 लुधियाना (पंजाब)

[फा. सं. यू-16012/01/2017-सा.सु.-I)]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

3509 GI/2018 (1)

### MINISTRY OF LABOUR AND EMPLOYMENT

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2018

**S.O. 3037 (E).**—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment S.O. No. 1831(E) dated the 7<sup>th</sup> May, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-Section (ii) dated the 7<sup>th</sup> May, 2018.

In the said notification under the heading "Appointed by the Central Government under Section 4(f)" against SI. No. 44, the following entry shall be substituted namely:-

SI. No. 44- Sh. Dinesh Lakra

M/s Lakra Industries Ltd.

E-200, Focal Point, Phase-IV,

Ludhiana (Punjab).

[F. No. U-16012/01/2017-SS-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 22 जून, 2018

का.आ. 3038(अ).— कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम, 1948 (1948 का 34) की धारा 4 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद्दवारा भारत का राजपत्र, असाधारण, भाग II खंड 3, उप खंड-(ii) में प्रकाशित भारत सरकार, श्रम और रोजगार मंत्रालय की दिनांक 7 मई, 2018 की अधिसूचना संख्या का.आ. 1831(ई), दिनांक 7 मई, 2018 में निम्नलिखित संशोधन करती है।

उक्त अधिसूचना में धारा 4(जी) के अंतर्गत 'केंद्र सरकार द्वारा नियुक्त' शीर्ष के अंतर्गत निम्नलिखित प्रविष्टि जोड़ी जाएगी, नामत:

क्रम संख्या 51ए – श्री सी. ए. राजाश्रीधर

अध्यक्ष हिंद मजदूर सभा 35, मल्लेश्वर कॉयल स्ट्रीट मयलापुर, चेन्नै (तमिलनाडु)

[फा. सं. यू-16012/01/2017-सा.सु.-I]

आर. के. गुप्ता, संयुक्त सचिव

#### **NOTIFICATION**

New Delhi, the 22nd June, 2018

**S.O. 3038(E)**.—In exercise of the powers conferred by Section 4 of the Employees' State Insurance Act, 1948 (34 of 1948), the Central Government hereby makes the following amendments in the notification of the Government of India in the Ministry of Labour & Employment S.O. No. 1831(E) dated the 7<sup>th</sup> May, 2018 published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3 Sub-Section (ii) dated the 7<sup>th</sup> May, 2018.

In the said notification under the heading "Appointed by the Central Government under Section 4 (g), the following entry shall be added namely:-

SI. No. 51 A- Sh. C. A. Rajasridhar,

President,

Hind Mazdoor Sabha,

35, Malleswara Koil Street,

Mylapore, Chennai (T.N.)

[F. No. U-16012/01/2017-SS-I]

R. K. GUPTA, Jt. Secy.